**राजस्थान सरकार**
**निदेशालय विशेष योग्यजन**
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**
जी 3/1ए, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांकः एफ. 8 (17)पार्ट–III/सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2020/ दिनांकः

**नवीन सिलिकोसिस पोर्टल, 2022 के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश**
**GUIDELINES FOR USE OF NEW SILICOSIS PORTAL, 2022**
(Issued under Rajasthan Policy on Pneumoconiosis)

राजस्थान न्यूमोकोनियोसस (सिलिकोसिस) नीति (Rajasthan Policy on Pneumoconiosis), 2019 के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक 8412 दिनांक 25.08.2021 राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि का गठन किया गया है।

राजस्थान न्यूमोकोनियोसस (सिलिकोसिस) निवारण निधि के प्रावधानों, विभागीय दिशा निर्देशों एवं वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा के अनुसार ''सिलिकोसिस बीमारी का प्रमाण–पत्र प्राप्त होते ही, पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता राशि Auto Approval के माध्यम से Direct Benefit Transfer (DBT)'' की जानी है। सिलिकोसिस प्रमाणीकरण के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप–2/2020 दिनांक 20.11.2020 द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का सरलीकरण किया गया है। (परिशिष्ट–1)

प्रमाणीकरण की नवीन सरलीकृत प्रक्रिया के उपरोक्त परिपत्र, सिलिकोसिस नीति के प्रावधानों एवं विभागीय दिशा निर्देशों, राजस्थान न्यूमोकोनियोसस (सिलिकोसिस) निवारण निधि दिशा निर्देश एवं विभाग की वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा संख्या 32 तथा सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग की बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 238 एवं 249 के अनुसार तथा डाटा आधारित ऑनलाइन वैरिफिकेशन एवं ऑटो अप्रुवल के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक 3209 दिनांक 08.09.2021 एवं 3211 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन होने के कारण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक क्षय/सिलिकोसिस/2022/943 दिनांक 22.04.2022 (परिशिष्ट–2) एवं वर्तमान सिलिकोसिस पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु, सिलिकोसिस पोर्टल पर आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किये जाकर नवीन सिलिकोसिस पोर्टल, 2022 विकसित किया गया है।

सिलिकोसिस पीड़ित व उसके परिवार को आर्थिक सहायता (परिशिष्ट–3) प्रदान करने हेतु विकसित नवीन Silicosis Portal के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

## 1 आवेदन प्रक्रिया ( Application Procedure):–

### (A) सिलिकोसिस पीडित के प्रमाणीकरण (Certification) पर सहायता प्राप्त करने हेतु हेतु आवेदन प्रक्रिया (For Alive Cases):–

(i) संदिग्ध सिलिकोसिस पीड़ित होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति E-mitra के माध्यम से यू.आर.एल. (URL) rajsilicosis.rajasthan.gov.in पर आधार based biometric verification करवा कर आवेदन कर सकेगा।

(ii) आवेदनकर्ता के जन आधार नं. से सामान्य/पारिवारिक जानकारी प्राप्त की जायेगी।

(iii) आवेदन करते समय श्रमिक की श्रेणी श्रम विभाग होने पर बीओसीडब्लू के क्रमांक लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया से तथा खान विभाग/अन्य से संबंधित होने पर वांछित दस्तावेज अपलोड करना होगा, ताकि Reconciliation के समय श्रेणी निर्धारण किया जा सके।

(iv) आवेदनकर्ता द्वारा Portal पर प्रथम नामित (Nominee) को अनिवार्य (Mandatory) चिन्हित करना होगा एवं द्वितीय नामित (Nominee) का अंकन ऐच्छिक (Optional) होगा।

(B) **सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु के पश्चात् (For Death Cases) दी जाने वाली सहायता के लिए उसके नामित द्वारा online आवेदन करने की प्रक्रियाः–**

(i) मृत्यु उपरांत पहचान पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) जारी होने पर उक्त सूचना जन आधार पोर्टल पर रिवर्स सीडिंग के माध्यम से जन आधार डाटाबेस में Update होने के पश्चात् Online प्रक्रिया से चिन्हित नामित का स्वतः आवेदन Generate होगा।

(ii) नामित के जन आधार से पोर्टल पर उसकी सामान्य जानकारी पोर्टल पर स्वतः अपलोड़ (Auto populate) हो जायेगी।

(iii) मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में पहचान पोर्टल से प्राप्त मृत्यु संबंधी जानकारी जन आधार पोर्टल से अपडेशन के आधार पर ली जायेगी, पृथक से मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिलिकोसिस नीति 2019 के अनुसार सिलिकोसिस से मृत्यु होने के प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होगी।

(iv) सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु के उपरांत नामित द्वारा आवेदन करते समय/स्वतः आवेदन जनरेट होने की स्थिति में श्रमिक की श्रेणी (बीओसीडब्लू/खान/अन्य) प्रमाणीकरण के भुगतान के पश्चात अंक मिलान के आधार पर अंकित श्रमिक की श्रेणी के अनुसार ही स्वतः पोर्टल पर अंकित होगी, ताकि Reconciliation के समय श्रेणी निर्धारण में काम आये।

(C) **Data Authentication (सूचना की प्रमाणिकता)–** बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 238 एवं 249 के अनुसार डाटा आधारित ऑनलाइन वैरिफिकेशन एवं ऑटो अप्रुवल के क्रम में सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग के आदेश क्रमांक 03209 दिनांक 08.09.2021 एवं 03211 दिनांक 08.09.2021 की पालना के क्रम में सिलिकोसिस पीड़ित व उसके नामित परिवार की जानकारी जन आधार नम्बर के आधार पर जन आधार व अन्य पोर्टल से ली जायेगी एवं ऑटो अप्रूवल हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

(D) **अन्य आवश्यक सूचना व दस्तावेज का प्रावधान (Provision for other Information and documents):–** अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पालनहार, पेंशन, खाद्य सुरक्षा आदि का लाभ दिलाने के लिए Auto Approval हेतु सम्बन्धित Portal को जन आधार से लिंक किया जएगा। योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए यदि कोई वांछित सूचना/दस्तावेज जो जन आधार व अन्य पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, को पोर्टल पर आवेदन करते समय भरवाई जायेगी।

## 2 प्रमाणीकरण की प्रक्रिया ( Certification Process):–

प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1)चि.स्वा. / ग्रुप–2 / 2020 दिनांक 20.11.2020 के अनुसार होगी, जिसकी विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

(i) परिपत्र के अनुसार समस्त CHC/ उप जिला अस्पताल / जिला अस्पताल का पोर्टल पर अंकन (Mapping) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कॉलेज की मैपिंग चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से निदेशालय विशेष योग्यजन (DSAP) एवं DOITC द्वारा करवाई गई है।

(ii) सिलिकोसिस बीमारी के संभावित मरीज द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर निकटतम अस्पताल जहां पर सक्षम चिकित्सा अधिकारी [MD (Medicine/TB (Respiratory Medicine)] उपलब्ध है वहाँ पर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सूचना आवेदक को सोफ्टवेयर (Software) द्वारा व एसएमएस (SMS) से दी जायेगी। सात दिवस में चिकित्सा अधिकारी के समक्ष परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होने पर, पोर्टल द्वारा स्वतः ही Reminder SMS भेजा जावेगा, जिसकी सूचना चिकित्सा अधिकारी को भी एस.एम.एस. के माध्यम से भी दी जाएगी। सात दिवस बाद तीसरा SMS भेजा जाएगा, प्रार्थी को 21 दिन बाद भी जाँच हेतु उपस्थित नहीं होने पर उसका आवेदन Hold पर रख दिया जाएगा जिसे प्रार्थी के निवेदन पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे Hold से Active Mode पर लिया जा सकेगा।

(iii) चिकित्सकीय परीक्षण हेतु CHC स्तर पर पदस्थापित [MD (Medicine/TB (Respiratory Medicine)] योग्यता वाले चिकित्सक अधिकृत होंगे।

(iv) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण करते समय सिलिकोसिस के प्रारम्भिक लक्षण पाये जाने पर Digital Chest X-ray अधिकृत रेडियोलोजिस्ट को ऑनलाइन PDF File /Image File/Teleradiology आदि तकनीकों के माध्यम से Opinion हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(v) अधिकृत रेडियोलोजिस्ट की पोर्टल पर Mapping की जायेगी।

(vi) Radiologist से Opinion प्राप्त होने के पश्चात् Radiologist की चिकित्सकीय परीक्षण के फलस्वरूप समग्र Observation के आधार पर निर्धारित समय सीमा (सात दिवस) में सक्षम प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिलिकोसिस ग्रसित पाये जाने पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करके अथवा प्रार्थना पत्र को Reject करके निस्तारण किया जायेगा। Pendency के सम्बन्ध में SMS प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अधीक्षक मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।

(vii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी एवं Radiologist की सूची मय पद, मोबाइल नं., एसएसओ आईडी आदि उपलब्ध करायी गई है। जिसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से Online System में अंकित / मैपिंग की गई हैं।

## 3 प्रमाणीकरण की वैकल्पिक व्यवस्था (Alternative Arrangement for Certification)

(i) यदि कोई संभावित मरीज Online Application दर्ज नहीं करा पाता है अथवा ऑन लाईन आवेदन करने के बाद भी अधिकृत चिकित्सा अधिकारी की CHC में उपलब्धता न हो अथवा मरीज अन्य चिकित्सकीय संस्थान यथा अन्य CHC, CHC के समकक्ष अन्य अस्पताल अथवा जिला अस्पताल, किसी भी राज्य स्तरीय Care Centre यथा Medical College से संबंधित

अस्पतालों में सिलिकोसिस की जांच व एक्स–रे के लिए Physically उपस्थित हो सकता है। ऐसे समस्त स्थानों को भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित कर Map किया जाएगा।

(ii) ऐसी स्थिति में उस संस्थान के सक्षम चिकित्सकीय अधिकारी द्वारा स्वयं Online Portal पर Entry सुनिश्चित करवाकर परीक्षण व एक्स–रे जांच करवाने के पश्चात Radiologist की Opinion के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा अथवा प्रकरण निरस्त किया जाएगा।

(iii) इस हेतु समस्त जिला चिकित्सालय एवं Care Centre में प्राधिकृत चिकित्सकों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा ऐसे चिकित्सक द्वारा प्राधिकृत Radiologist की राय Online Portal के माध्यम से ली जायेगी।

| 4 | **अपीलीय बोर्ड की व्यवस्था ( Procedure for Appeallate board)** |
|---|---|

(i) CHC स्तर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सिलिकोसिस प्रमाण पत्र के आवेदन के निरस्त करने की स्थिति में संभावित मरीज द्वारा जिला स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसमें एक Radiologist, एक MD (Medicine) एवं एक M.D. T.B. (Respiratory Medicine) होना आवश्यक है। इसकी Mapping चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से DOIT द्वारा करवाई जायेगी।

(ii) उक्तानुसार अपील करने एवं निस्तारण करने हेतु भी सिलिकोसिस पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर प्रावधान किया गया है, अपील 30 दिवस के अंदर करनी होगी।

(iii) वैकल्पिक व्यवस्था (Alternative Arrangement) से उच्चतर चिकित्सकीय संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिलिकोसिस प्रमाण पत्र के आवेदन को निस्तारण किये जाने पर अपील का निस्तारण उसी संस्थान अथवा उच्चतर चिकित्सा संस्थान में गठित 3 सदस्यीय चिकित्सा दल द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया का पोर्टल पर प्रावधान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है।

(iv) अपील का निस्तारण एक माह में किया जायेगा।

| 5 | **प्रमाणीकरण हेतु पहचान की सुनिश्चितता (Establishment of identity):–** |
|---|---|

(i) सिलिकोसिस प्रमाणीकरण किये जाने वाले व्यक्ति का फोटो व अन्य विवरण पोर्टल पर देखेगा।

(ii) सक्षम चिकित्सा अधिकारी स्तर पर उसकी फोटो पहचान पत्र के माध्यम से पहचान सुनिश्चित करते हुए चिकित्सकीय परीक्षण एवं डिजिटल एक्सरे करवाया जायेगा।

(iii) संबंधित सक्षम चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर पोर्टल पर आवेदक की पहचान के दो चिन्ह (two marks of physical identification) का प्रावधान किया गया है। इसे सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।

(iv) रेडियोग्राफर द्वारा एक्स–रे के समय फोटो व पहचान के चिन्ह सत्यापित किए जाएंगे, जिससे अपात्र व्यक्ति अनुचित रूप से लाभ न ले सके।

(v) पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी की जानकारी को जन सूचना पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

| 6 | **समय सीमा (Timelines):–** |
|---|---|

(i) चिकित्सकीय परीक्षण हेतु आवेदक को सात दिवस में सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। उसे SMS से सूचना कर एक–एक सप्ताह पर दो और अवसर दिए जायेंगे।

(ii) तीन बार एसएमएस पर सूचित किये जाने पर भी आवेदक के 21 दिवस तक उपस्थित न होने पर आवेदक के आवेदन पर Hold अंकित कर पृथक सूची में डाला जायेगा। Hold आवेदन को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा Active किया जाकर पुनः आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

(iii) Radiologist से Opinion प्राप्त होने के पश्चात् Radiologist की X-Ray परीक्षण के फलस्वरूप समग्र Observation के आधार पर निर्धारित समय सीमा (सात दिवस) में सक्षम प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिलिकोसिस ग्रसित पाये जाने पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करके अथवा प्रार्थना पत्र को Reject करके निस्तारण किया जायेगा।

(iv) अपील 30 दिवस की समयावधि में ऑनलाईन की जा सकेगी।

(v) अपील का निस्तारण सक्षम स्तर पर एक माह में किया जायेगा।

(vi) प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त हुए प्रकरणों का पुनः पंजीकरण 6 माह पश्चात् ही किया जा सकेगा।

(vii) जिला मेडिकल बोर्ड स्तर पर निरस्त प्रकरणों का पुनः पंजीयन एक वर्ष पश्चात् ही किया जा सकेगा।

(viii) Pendency के सम्बन्ध में SMS प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अधीक्षक मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।

| 7 | **ऐसे प्रकरण जिनमें ऑफलाइन या पूर्व पोर्टल से प्रमाणीकरण के पश्चात् Alive Cases में देय सहायता राशि दी गई है ऐसे प्रकरणों में नामित की जानकारी अंकित करवाने की प्रक्रिया:–** |
|---|---|

(i) जिन प्रकरणों में पूर्व में ऑफलाइन/पूर्व पोर्टल से प्रमाणीकरण पश्चात् Alive Cases में देय सहायता राशि जारी की गई है, उनसे पोर्टल पर नामित की जानकारी भरवाई जायेगी। इस हेतु संबंधित को एस.एम.एस. द्वारा संदेश भेजा जायेगा। इस प्रक्रिया की यूटीलिटी पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

(ii) इस प्रक्रिया की यूटीलिटी पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

| 8 | **ऐसे प्रकरण जिनमें ऑफलाइन या पूर्व पोर्टल से प्रमाणीकरण के पश्चात् Alive Cases में देय सहायता राशि दी गई है तथा सिलिकोसिस पीडित की मृत्यु हो चुकी है ऐसे प्रकरणों में नामित द्वारा पीडित की मृत्यु पश्चात् देय सहायता राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया:–** |
|---|---|

(i) ऐसे प्रकरण जिनमें सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु हो चुकी हैं, तथा नामित की जानकारी भरवाया जाना संभव नहीं है, ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पोर्टल पर यूटीलिटी उपलब्ध करवाई जायेगी।

(ii) सिलिकोसिस पीड़ित मृतक के नामित होने का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र और सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र अपलोड करना होगा।

| 9 | **स्वतः स्वीकृति की प्रक्रिया (Auto approval and Sanction Process):–** |
|---|---|

(i) आवेदक के सिलिकोसिस प्रमाणीकरण पश्चात्/मृत्युपरान्त मृत्यु प्रमाण पत्र की सूचना पहचान पोर्टल से जन आधार पर अपडेशन के आधार पर आवेदन सिलिकोसिस पोर्टल द्वारा ऑटो अप्रुवल (Auto approval) होकर स्वतः स्वीकृति जारी होगी।

(ii) निदेशालय विशेष योग्यजन स्तर पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक की पोर्टल आई.डी. पर आवेदक द्वारा दी गई समस्त जानकारी व आवेदन पत्र प्रदर्शित होंगे। जिससे वह इसे monitor व supervise कर सके।

(iii) आवेदन पत्र को सम्बंधित कार्मिक द्वारा अवलोकन करने के पश्चात् सिलिकोसिस प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र की सूचना जन आधार से अपडेशन के आधार पर पोर्टल द्वारा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (संयुक्त निदेशक) निदेशालय विशेष योग्यजन के नाम व पदनाम से आवेदक के नाम ऑटो अप्रुवल के माध्यम से ई–साईन/सर्वर सर्टिफिकेशन से पोर्टल द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जायेगी।

| 10 | **भुगतान प्रक्रिया ( Payment Process):–** |
|---|---|

(i) राज्य न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि में वित्त विभाग द्वारा राज्य निधि एवं श्रम विभाग का अंशदान उपलब्ध करवाया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा श्रम विभाग का अंशदान उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में श्रम विभाग (बीओसीडब्ल्यू) द्वारा अंक मिलान के पश्चात राशि का पुनर्भरण किया जा सकेगा।

(ii) निदेशालय स्तर पर इस राशि को राज्य न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि के पी.डी. खाता संख्या 18743 (कोषालय, शासन सचिवालय, जयपुर) में हस्तानान्तरित किया जाएगा।

(iii) खान विभाग से संबंधित प्रकरणों हेतु किये वास्तविक भुगतान के आधार पर राशि का पुनर्भरण संबंधित जिला कलक्टर द्वारा डी.एम.एफ.टी. खाते से e-grass/inter treasury transfer प्रक्रिया के माध्यम से विभाग के पी.डी. खाते में किया जायेगा।

(iv) पीड़ित को न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) के प्रमाणीकरण के पश्चात् तथा पीड़ित की मृत्यु के उपरान्त पहचान पोर्टल से जन आधार पर अपडेशन के पश्चात् पोर्टल द्वारा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (संयुक्त निदेशक) निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग के नाम/पदनाम से ई–साइन विधि व सर्वर सर्टिफिकेशन के माध्यम से ऑटो अप्रुवल द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति जारी किया जाकर, निदेशालय स्तर पर IFMS प्रक्रिया से कोषालय को बिल प्रेषित कर पी.डी. खाते से सहायता राशि सीधे ही प्रमाणीकृत सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति के खाते में तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारी/नामित के बैंक खाते में डी.बी.टी (Direct Benefit Transfer) की जायेगी।

(v) निदेशालय विशेष योग्यजन स्तर पर Monitoring and supervison हेतु सम्बन्धित कार्मिक/स्वीकृति अधिकारी की मैपिंग कर दी गई है।

(vi) नवीन सिलिकोसिस पोर्टल को IFMS प्रक्रिया से लिंक किया जायेगा।

(vii) कोषालय द्वारा संबंधित आवेदक के बैंक खाते में राशि स्थानान्तरित की जायेगी।

(viii) समस्त प्रक्रिया यथा आवेदन, प्रमाणीकरण के विभिन्न स्तर, स्वीकृति के स्तर तथा भुगतान के स्तर पर प्रार्थी/पीड़ित के मोबाईल नं. पर एस.एम.एस. द्वारा जानकारी प्रेषित किया जायेगा।

(ix) लाभार्थी के आवेदन से भुगतान प्रक्रिया की ऑडिट ट्रेल रखी जायगी जिससे आवेदक अपनी प्रमाणीकरण, स्वीकृति तथा भुगतान की जानकारी जन आधार नं. डालने पर देख सके।

| 11 | **अंक मिलान ( Reconciliation) एंव Post Sanction Audit की व्यवस्था :–** |
|---|---|

(i) सभी जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की Portal पर मैपिंग की जायेगी। जिससे मोनिटरिंग व सुपरविजन किया जा सकेगा एवं डीएमएफटी से नियमित पुनर्भरण सुनिश्चित हो सकेगा।

(ii) न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि के पीडी खाते से भुगतान के पश्चात् विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से एक सप्ताह की अवधि में समस्त भुगतान किये गये प्रकरणों का अंक मिलान करवाया जायेगा।

(iii) श्रम विभाग(बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) के समस्त प्रकरणों का अंक मिलान (Reconciliation) राज्य निधि में श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से एक सप्ताह में किया जायेगा। श्रम विभाग से संबंधित प्रकरणों की राशि श्रम विभाग (बीओसीडब्ल्यू) से प्राप्त (Reimbursment) होगी। खान विभाग के प्रकरणों की राशि खान विभाग (डीएमएफटी/एसएमएफटी) से संबंधित जिला कलक्टर से प्राप्त (Reimbursment) होगी। अन्य प्रकरणों को भुगतान राज्य संचित निधि से माना जायेगा।

(iv) खान विभाग से संबंधित प्रकरणों में किये भुगतान का अंकमिलान (Reconciliation) कर जिला कलक्टर द्वारा DMFT(SMFT से प्राप्त राशि सहित फण्ड) में उपलब्ध राशि से पुनर्भरण एक सप्ताह में किया जायेगा।

(v) अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थिति वाले प्रकरणों में ही राज्य की संचित निधि से सिलिकोसिस फण्ड मे उपलब्ध राशि के विरूद्ध भुगतान किया जायेगा।

(vi) जिलेवार अंक मिलान प्रक्रिया का प्रावधान सिलिकोसिस पोर्टल पर करवाया जायेगा।

(vii) आवश्यकतानुसार भुगतान किये गये प्रकरणों की Post Sanction Audit जिला स्तर पर जिला स्तरीय सिलिकोसिस समिति द्वारा की जाएगी, जिसका सदस्य सचिव जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

| 12 | **जिला स्तरीय नोडल अधिकारी** (District Level Nodal Officers) |
|---|---|

(i) जिला स्तर पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी/ जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं जिलाधिकारी, विशेष योग्यजन विभाग जिला स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे। जो अधिकृत अधिकारी की पहचान कर मैपिंग का कार्य करेंगे।

(i) CHC पर चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन होने पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी/जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी द्वारा नवीन पदस्थापित/ स्थानान्तरित अधिकारी को पोर्टल पर मैप किया जाएगा।

(ii) जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण एवं अपीलीय बोर्ड की तय समय सीमा में पालना सुनिश्चित की जाएगी।

| 13 | **राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी** (State Level Nodal Officers) |
|---|---|

(i) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुक्त/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुक्त/निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, पोर्टल की मॉनिटरिंग एवं सुपरिवजन हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे।

(ii) जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी का स्थानान्तरण / पदस्थापन होने पर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवीन पदस्थापित / स्थानान्तरित अधिकारी को पोर्टल पर मैप किया जाएगा।

(iii) प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का स्थानान्तरण / पदस्थापन होने पर आयुक्त / निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नवीन पदस्थापित / स्थानान्तरित अधिकारी को पोर्टल पर मैप किया जाएगा।

(iv) जिला स्तर पर जिलाधिकारी, विशेष योग्यजन विभाग का स्थानान्तरण / पदस्थापन होने पर आयुक्त, विशेष योग्यजन विभाग द्वारा नवीन पदस्थापित / स्थानान्तरित अधिकारी को पोर्टल पर मैप किया जाएगा।

(v) उक्त राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी पोर्टल के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

| 14 | **जिला कलक्टर** (District Collector) |
|---|---|

जिला कलक्टर जिले में अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की मैपिंग के कार्य, प्रमाणीकरण के प्रकरणों के निस्तारण एवं सिलिकोसिस पीडितों को देय आर्थिक सहायता के निस्तारण एवं लम्बित प्रकरणों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करेंगे।

इस हेतु नवीन सिलिकोसिस पोर्टल की तकनीकी टीम द्वारा तैयार यूजर मैन्यूअल संलग्न कर प्रेषित है।

तकनीकी समस्या आने पर हेल्प डेस्क helpdesk.silicosis@rajasthan.gov.in एवं श्री राहुल शर्मा / श्री शम्भू सैनी दूरभाष संख्या 0141–2928074 से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नः

1. परिशिष्ट 1 से 3
2. यूजर मेनुअल – 2 (उपयोगकर्ता एवं सत्यापनकर्ता)

**(डॉ. समित शर्मा)**
**शासन सचिव**

क्रमांकः एफ. 8 (17)पार्ट–III / सिलिकोसिस / नि.वि.यो. / 2020 / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

9. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
12. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
13. अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
14. समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
15. उप निदेशक (एसीपी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

**आयुक्त एवं शासन सचिव**

परिशिष्ट - 1

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांकः पं.1 (1)चि.स्वा./ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांकः 10.11.2020
20.11.2020

## परिपत्र

**विषयः– Silicosis बीमारी हेतु प्रमाणीकरण की व्यवस्था।**

वर्तमान में Silicosis बीमारी के प्रमाणीकरण हेतु जिला स्तर पर एक तीन चिकित्सीय Board के द्वारा निर्णय लिया जाता है, तथा इसी क्रम में मेडिकल कॉलेज स्तर पर अपीलीय व्यवस्था के अंतर्गत Care Centre पर 3 चिकित्सकों के चिकित्सकीय बोर्ड का गठन किया गया है। इस व्यवस्था के स्थान पर तत्काल प्रभाव से निम्न व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया जाता है।

1. **प्रमाणीकरणः**

   i. Silicosis बीमारी के संभावित मरीज द्वारा आवेदन करने पर निकटतम CHC जिस पर सक्षम चिकित्सा अधिकारी M.D. (Medicine/TB (Respiratory Medicine) उपलब्ध है, के द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण हेतु समय दिया जाएगा।

   ii. चिकित्सकीय परीक्षण हेतु CHC स्तर पर पदस्थापित M.D. (Medicine/TB (Respiratory Medicine) योग्यता वाले चिकित्सक अधिकृत होंगे।

   iii. सक्षम चिकित्सक द्वारा परीक्षण करते समय Silicosis के प्रारंभिक लक्षण दृष्टिगत होने पर राज्य स्तर पर अधिकृत Radiologist को Online माध्यम से मरीज का Digital Chest X-ray Opinion हेतु प्रेषित किया जाएगा। Silicosis की जाँच हेतु उपयुक्त X-ray machine जिन सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध हैं वहाँ संभावित मरीजों को इलाज निःशुल्क दिया जाएगा।

   iv. Radiologist से Opinion प्राप्त होने के पश्चात् Radiologist की चिकित्सकीय परीक्षण के फलस्वरूप समग्र Observation के आधार पर इस सक्षम प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा Silicosis बीमारी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाएगा। निस्तारण Online प्रमाण पत्र जारी कर के अथवा प्रार्थना पत्र को Reject कर के किया जाएगा।

   v. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी एवं Radiologist की सूची जारी कर online system में अंकित की जाएगी।

2. **अपीलीय बोर्ड की व्यवस्थाः**

   i. CHC स्तर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा Silicosis प्रमाण पत्र के आवेदन के निस्तारण न होने की स्थिति में संभावित मरीज द्वारा प्रत्येक जिला चिकित्सालय स्तर पर अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील की जाएगी, जिसमें एक Radiologist, एक MD (Medicine) एवं एक M.D. T.B.(Respiratory Medicine) होना आवश्यक है।

   ii. उक्तानुसार अपील करने एवं निस्तारण करने हेतु भी Silicosis Portal का उपयोग किया जाएगा।

   iii. यदि कोई संभावित मरीज online application दर्ज नहीं करा पाता है अथवा ऑन लाईन आवेदन करने के बाद भी अधिकृत चिकित्सा अधिकारी की CHC में उपलब्धता न हो अथवा मरीज अन्य चिकित्सकीय संस्थान यथा अन्य CHC, CHC के समकक्ष अन्य अस्पताल अथवा जिला अस्पताल, किसी भी राज्य स्तरीय Care Centre यथा Medical College से संबंधित अस्पतालों में Physically उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में उस संस्थान के सक्षम चिकित्सकीय अधिकारी द्वारा स्वयं online portal पर entry करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा अथवा प्रकरण

निरस्त किया जाएगा। इस हेतु समस्त जिला चिकित्सालय एवं care centre में प्राधिकृत चिकित्सकों को निर्धारित किया जाएगा तथा ऐसे चिकित्सक द्वारा निकटस्थ radiologist या प्राधिकृत radiologist का opinion portal के माध्यम से लिया जाएगा। इस प्रकार उच्चतर चिकित्सकीय संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिलिकोसिस प्रमाण पत्र के आवेदन का निस्तारण किये जाने पर अपील का निस्तारण उसी संस्थान अथवा उच्चतर चिकित्सा संस्थान में गठित 3 सदस्यीय चिकित्सा दल द्वारा किया जाएगा।

सिद्दार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
10. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन, राजस्थान।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
15. निजी/रक्षित/कम्प्यूटर सैल।
16. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट - 2

# निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

## राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, राजस्थान

क्रमांकः क्षय / सिलिकोसिस / 2022 / 943 दिनांकः 22-04-2022

**बैठक कार्यवाही विवरण**

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः सिलिकोसिस / 2022 / 847 दिनांक 08.04.2022 के माध्यम से सिलिकोसिस पोर्टल पर पीपीटी के प्रस्तुतीकरण की बैठक निदेशक (जन स्वा.) की अध्यक्षता में दिनांक 11.04.2022 को निदेशालय स्वास्थ्य भवन, के सभागार भवन में प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। जिसमें निदेशालय विशेष योग्यजन के आईटी प्रतिनिधि द्वारा सिलिकोसिस पोर्टल की विस्तृत जानकारी बैठक में उपस्थित (संलग्न प्रपत्र) सभी सदस्यों को दी गई। साफ्टवेयर का प्रस्तुतीकरण देखने के उपरान्त निम्नानुसार सॉफ्टवेयर में संशोधन के सुझाव बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा दिये गयेः—

AD/JD

22 APR 2022

1. सॉफ्टवेयर में रोगी की सूचना इन्द्राज करते समय केवल परिवार का ही मोबाईल नं. इन्द्राज किया जावे।
2. मरीज के नियोक्ता की पूर्ण जानकारी साफ्टवेयर में इन्द्राज की जावे।
3. सॉफ्टवेयर में जिस स्तर की चिकित्सा संस्थान में सिलिकोसिस की जांच सुविधा उपलब्ध हो उन संस्थाओं की सूची Drop Down में उपलब्ध हो।
4. यदि 7 दिवस तक रोगी की जांच नहीं की जावे तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी को मैसेज भिजवाया जावे।
5. यदि रोगी 3 बार में भी उपस्थित नहीं होता तो उसका आवेदन Hold पर भिजवाया जावे।
6. रोगी के स्थाई पते के नजदीकी चिकित्सा संस्था पर ही चिकित्सीय जांच की जावे।
7. रोगी के पहचान चिन्ह की जांच चिकित्सा अधिकारी एवं रेडियोग्राफर स्तर पर सत्यापित की जावे।
8. प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त हुए प्रकरणों का पुनः पंजीकरण 6 माह पश्चात् होगा। इस प्रकार जिला मेडिकल बोर्ड स्तर पर निरस्त प्रकरणों का पुनः पंजीयन एक वर्ष पश्चात् किया जावेगा।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः क्षय / सिलिकोसिस / 2022 / 943 दिनांकः 22-04-2022

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—**

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

150

परिशिष्ट–3

**Financial Assistance/ Benefits to Pneumoconiosis affected Patient and Family Members**

| S. No. | Welfare Scheme | Assistance |
|---|---|---|
| 1. | Rehabilitation Assistance | Rs3,00,000 as one-time assistance payable to the affected person after certification |
| 2. | Assistance on death | Rs2,00,000 to the legal heir / nominee in the event of death of the Pneumoconiosis victim. |
| 3 | Pneumoconiosis Rehabilitation Pension | Pension equivalent to persons with disability, would be sanctioned irrespective of income criteria. |
| 4. | Provision for sustenance of family | Widow pension to wife, and/or benefits under Palanhar would be provided irrespective of income criteria. |
| 5. | Funeral Assistance | On death of the Pneumoconiosis victim, Funeral Assistance of Rs.10,000 will be given to the dependents where such assistance is not availed from any other source. |